मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1858 /943/2007/10-1 भोपाल, दिनांक 11/5/2007

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(प्रशासन/अराज)

म.प्र. भोपाल ।

विषयः- सात वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु ।

संदर्भः- आपकी टीप यू.ओ. क्रमांक 143 दिनांक 24-2-2007

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित टीप का अवलोकन करें ।

2/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा/अराज) द्वारा उपरोक्त विषय में मार्गदर्शन चाहा गया था । जिसके अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7/2000/3/एक, दिनांक 22 जनवरी, 2007 की कंडिका 3.3 में स्पष्ट निर्देश है कि लापता कर्मचारी के संबंध में सात वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई.आर. दर्ज होने के दिनांक से की जावेगी । उक्त परिपत्र में निहित निर्देशों के तहत प्रकरण में कार्यवाही करें ।

(आर.पी. त्रिपाठी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठां0क्रमांक/स्था0/द-1/अ0नि0/ 329 भोपाल,दिनांक 16/01/08

प्रतिलिपिः- समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । कृपया उपरोक्त म0प्र0शासन वन विभाग के परिपत्र के अनुसार लापता कर्मचारियों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करें एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।

कृ0 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा0 अराज0)

मध्यप्रदेश भोपाल

प्रशासकीय अधिकारी

कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(प्रशा./अराज.पत्रित)

म.प्र. भोपाल

वि-फ 3